16

संख्या–4697/v/श0वि0–आ0–2004–80(सा0)/2003

प्रेषक,

डा0 एस0एस0 सन्धू,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

(1) अध्यक्ष,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
नैनीताल/देहरादून/गंगोत्री।

(2) उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
देहरादून/हरिद्वार।

26/10/04

शहरी विकास/आवास अनुभाग

देहरादून:: दिनांक: 19 अक्टूबर,2004

विषय:–राज्य के विकास प्राधिकरणों में भवन मानचित्र से सम्बन्धित विभिन्न शुल्कों के निर्धारण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–1136/श0वि0–आ0– 2003–80(सा0)/03, दिनांक: 24 जुलाई,2003 के द्वारा प्राधिकरणों के लिए निर्धारित भवन मानचित्र से संबंधित विभिन्न शुल्कों के संबंध में शासनादेश के साथ संलग्न परिशिष्ट–1 को संशोधित कर शुल्कों का पुनर्निर्धारण किए जाने के उद्देश्य से संशोधित परिशिष्ट संलग्न कर इस आशय से आपको प्रेषित किया जा रहा है कि इस शासनादेश की जारी होने की तिथि से यह शुल्क समस्त विकास प्राधिकरणों में प्रभावी होंगे।

2. शासनादेश संख्या–1136/श0वि0–आ0–2003–80(सा0)/03, दिनांक: 24 जुलाई, 2003 के प्रस्तर–6 में की गयी यह व्यवस्था कि, "विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के लिए शुल्कों के संबंध में पृथक से निर्देश जारी किए जायेंगे उनमें तब तक वर्तमान व्यवस्था यथावत् लागू रहेगी," के द्वारा की गयी व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

Secy

V.C.
26.X.04

letter-8(oct)

12

3. इस शासनादेश के साथ संलग्न परिशिष्ट के द्वारा निर्धारित मानचित्र शुल्क समस्त विकास प्राधिकरणों/समस्त विशेष क्षेत्र विकास ... समान रूप से लागू होंगे।

4. उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डॉ0 एस0एस0 सन्धू)
सचिव।

संख्या–4697/v/श0वि0–आ0–2004–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) मण्डलायुक्त, गढ़वाल, पौड़ी/कुमॉयू, नैनीताल।

(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

(3) प्रभारी अधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।

(4) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(भास्करानन्द)
अपर सचिव।

letter-8(oct)

विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।

(4) गार्ड बुक।

शासनादेश संख्या–५६९७/श0वि0–आ0–2004–80(सा0)/2003, दि
अक्टूबर,2004 का संलग्नः

परिशिष्ट

क0	शुल्क का नाम	उपयोग	निर्धारित कर विकास/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
1	2	3	4
1.	मानचित्र आवेदन	आवासीय उपयोग	
(1.1)	शुल्क	(क) आवासीय भवन	भू–खण्ड क्षेत्रफल 100 वर्गमी0 तक रू0 100.00, 101 से 200 वर्ग मी0 तक रू0 200.00, 201 से 300 वर्ग मी0 तक रू0 300.00 तथा उसके पश्चात, रू 2.00 वर्ग मी की दर से या उसके अंश पर जो भी अधिक हो।
		(ख) आवासीय तलपट मानचित्र आवेदन शुल्क	रू0 5000.00 — 15000/-
		(ग) ग्रुप हाउसिंग मानचित्र	रू0 3000.00 10,800/-
(1.2)		व्यवसायिक उपयोग	75 वर्ग मीटर तक के भू–खण्ड पर रू0 2500.00 1000/- तथा 75 वर्ग मी0 से अधिक रू0 5000.00 → 7500/-
(1.3)		व्यवसायिक तलपट मानचित्र शुल्क	रू0 5000.00 10000/-
(1.4)		धार्मिक एवं तत्सम्बन्धी प्रयोजनों के उपयोग	रू0 3000.00 5000/-
(1.5)		कार्यालय/शैक्षिक/संस्थागत/तकनीकी संस्थान/आई0टी0/सामुदायिक उपयोग	रू0 3000.00 5000/-
(1.6)		औद्योगिक उपयोग	रू0 3000.00 5000/-
(1.7)		औद्योगिक तलपट मानचित्र आवेदन शुल्क	रू0 5000.00 10000/-

	यातायात एवं परिवहन उपयोग	रु0 500.00 1000/-
	मनोरंजन / पर्यटन उपयोग	रु0 3000.00 5000/-
सुधार एवं विकास शुल्क	आवासीय भवन	निम्नानुसार भवन के समस्त तलों के आच्छादित क्षेत्रफल पर देय होगा – क– महायोजना में परिभाषित आवासीय घनत्व के आधार पर R3– न्यून घनत्व रु0 75.00 प्रति वर्ग मी0 100/- R-2 मध्य घनत्व रु0 55.00 प्रति वर्ग मी0 R-1 उच्च घनत्व रु0 35.00 प्रति वर्ग मी0 – 50/- ख– मसूरी विकास क्षेत्र में महायोजना तैयार होने तक रु0 75.00 100/- प्रति वर्ग मी. जबकि विशेष क्षेत्र में स्थित अन्य नगरीय क्षेत्रों में इसके आधे दर पर ग– ग्रामीण क्षेत्र, यदि पृथक से घनत्व परिभाषित नहीं, नियमानुसार आवास निर्माण की अनुमन्यता पर रु0 25.00 प्रतिवर्गमीटर 50/-
	ग्रुप हाउसिंग	रु0 75.00 प्रति वर्ग मी0 100/-
	व्यावसायिक भवन	रु0 200.00 प्रति वर्ग मी0 300/-
	औद्योगिक भवन	रु0 100.00 प्रति वर्ग मी0 150/-
	शैक्षिक / स्वास्थ्य / तकनीकी शिक्षा, उपयोग के भवन	रु0 100.00 प्रति वर्ग मी0 150/-
	कार्यालय / संस्थागत / धमार्थ / सांस्कृतिक भवन अन्य सामुदायिक उपयोग के भवन	रु0 100.00 प्रति वर्ग मी0 150/-
	वेडिंग प्वाइन्ट / बैन्क्वेट हाल	रु0 200.00 प्रति वर्ग मी0 300/-
	सूचना प्रौद्योगिकी उपयोग के भवन	रु0 75.00 प्रति वर्ग मी0 100/-
	मनोरंजन व पर्यटन भवन	रु0 75.00 प्रति वर्ग मी0 100/-
	पेट्रोल पम्प सम्बन्धी भवन	रु0 300.00 प्रति वर्ग मी0 500/-

		कृषि फार्म, कृषि कार्यकलाप भवन मुर्गी फार्म, मशरूम फार्म, सुअर पालन, मत्स्य पालन, पार्क आदि सम्बन्धी भवन	रू0 200.00 प्रति वर्ग मी0 300/-
3.	भू-उपयोग प्रमाण पत्र, पत्रावली पुर्नस्थापना एवं प्रतिलिपि शुल्क		न्यूनतम रू0 ~~150.00~~ 250/- अथवा प्रति खसरा रू0 ~~15.00~~ 20/- की दर से जो भी अधिक हो।
4.	पत्रावली पुर्नस्थापना शुल्क		अ-आवासीय-मानचित्र शुल्क का 50% ब-व्यवसायिक-मानचित्र शुल्क का 75% स-औद्योगिक-मानचित्र शुल्क का 50% द-अन्य-मानचित्र शुल्क का 30%
5.	प्रतिलिपि शुल्क		प्राधिकरण अभिलेख से निजी मानचित्र प्राप्ति के आवेदन करने पर प्रतिलिपि शुल्क के रूप में रू0 ~~100.00~~ 250/- प्रति प्रतिलिपि की दर पर शुल्क देय होगा।